

दिनांक :- 30.12.2020

क्रमांक :- 1225

सेवा में :-

मुख्य वन संरक्षक,
मध्य परिमण्डल, रोहतक।

विषय : Diversion of 0.01309 Ha. of Forest Land for access to factory belonging to Sh. Ayush Goel S/o. Sh. Ashok Goel on Assan Kalan- Mor Majra Road (ODR), Near Km. Stone No. 6, Village Khandra, Tehsil Madlauda, Distt. Panipat.

Proposal No.FP/HR/Approach/45200/2020
Date of Proposal:-16-05-2020

.....

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विषयांकित प्रस्ताव में आपको सूचित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी ने Assan Kalan- Mor Majra Road (ODR), Near Km. Stone No. 6, Village Khandra, Tehsil Madlauda, Distt. Panipat पर रास्ते हेतु इस कार्यालय में प्रस्ताव भेजा है। निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24-12-2020 को किये गये मौका निरीक्षण अनुसार उक्त केस प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.01309 है0 वन भूमि का प्रयोग किया जाना है। उक्त प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव में वन विभाग के 15 वृक्ष तथा 10 पौधे बाधित होते हैं। प्रस्तावित केस के बदले प्रतिपूर्ति पौधारोपण Tall Plants Scheme के अन्तर्गत कुल 170 प्लान्ट्स ऑल्ड वादशाही कैनाल आर0डी0 21-28 दाये साईड पर करवाया जाएगा।

अतः आपको उक्त केस एक प्रति में भेजकर आपसे अनुरोध है कि सलग्न केस पर अगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सलग्न/उपरोक्त:- पूर्ण केस एक प्रति में

उप वन संरक्षक,
पानीपत।
30.12.2020

पृ0 क्रमांक :- 1226-27
इसकी एक प्रति-

दिनांक :- 30.12.2020

1. Sh. Ayush Goel S/o. Sh. Ashok Goel on Assan Kalan- Mor Majra Road (ODR), Near Km. Stone No. 6, Village Khandra, Tehsil Madlauda, Distt. Panipat को भेजकर सूचित किया जाता है कि विषयांकित केस वन संरक्षण अधिनियम 1980/2003 के तहत तैयार करके उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। जब तक इस केस की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय/उच्चाधिकारियों से प्राप्त नहीं होती तब तक वन विभाग की सुरक्षित वन भूमि का उपयोग न किया जाये।
2. वन राजिक अधिकारी, पानीपत को भेजते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि प्रस्तावित केस की अनुमति प्राप्त होने तक वन भूमि का उपयोग न होने दिया जाये।

उप वन संरक्षक,
पानीपत।
30.12.2020